POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 29.07.2022

1-थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा गर्ल्स एंड बॉयस हॉस्टल के सामने स्टंट करने व अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी देने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्टंट में प्रयुक्त कार(सीजशुदा) बरामद।

दिनांक 23.07.2022 को थाना नॉलेज पार्क क्षेत्रांतर्गत नॉलेज पार्क-3 स्थित पाकीजा नेस्ट गर्ल्स एंड बॉयस हॉस्टल के सामने कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी गाड़ियों से स्टन्ट किये जाने तथा वादिया से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में वादिया द्वारा नॉलेज पार्क पर तहरीर दी गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना नॉलेज पार्क पर मु0अ0सं0 187/2022 धारा 147/504/506 भादवि0 पंजीकृत किया गया था, अभियोग की विवेचना में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए दिनाँक 23.07.2022 को वाहन संख्या UP16DE3738 को सीज करते हुए अभियुक्त प्रशान्त पुत्र विनोद कुमार व भव सागर पुत्र हरीश कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गयी थी तथा अन्य वाहन के सम्बन्ध में थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिनांक 27.07.2022 वर्ना गाड़ी नं0 UP14EY3662 को कब्जे में लेकर अभियुक्त आनन्द कुमार पुत्र शिवराम ठाकुर निवासी ग्राम धरहरवा, थाना परिहार, जिला सीतामढ़ी, बिहार वर्तमान पता 79 मुकीमपुरा, थाना कमलानगर, नई दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरणः

आनन्द कुमार पुत्र शिवराम ठाकुर निवासी ग्राम धरहरवा, थाना परिहार, जिला सीतामढ़ी, बिहार वर्तमान पता 79 मुकीमपुरा, थाना कमलानगर, नई दिल्ली।

अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 187/2022 धारा 147/504/506 भादवि0 थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

स्टंट में प्रयुक्त कार वर्ना गाड़ी नं0 UP14EY3662(सीजशुदा)

2-थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा जगदम्बा ज्वैलर्स से सोने की अगुँठी चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 05 सोने की अगुँठी (कीमत लगभग 2 लाख रूपये) बरामद।

दिनांक 29.07.2022 को थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा जगदम्बा ज्वैलर्स से सोने की अगुँठी चोरी करने वाला चोर प्रशान्त तिवारी पुत्र राजेश तिवारी निवासी आदमपुर, थाना सान्डी, जिला हरदोई वर्तमान निवासी गली नम्बर-2, ग्राम छिजारसी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के सेक्टर-62 गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी 05 सोने की अगुँठी (कीमत लगभग 2 लाख रूपये) बरामद हुई है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः

दिनांक 22/7/22 को वादी संदीप शर्मा पुत्र मेघराज शर्मा निवासी गांव-छजारसी, थाना सेक्टर-63, नोएडा द्वारा थाना सेक्टर-63 पर सूचना दी गई की वह दोपहर में अपनी जगदम्बा ज्वैलर्स दुकान पर बैठे हए थे, तभी एक व्यक्ति आया और उसने उनको सोने की अगुँठी दिखाने को कहा तो उन्होने उसको अगुँठी दिखाई तो उक्त व्यक्ति द्वारा और अगुँठी दिखाने को बोला गया जिसपर वह तिजौरी की तरफ अगुँठी लेने गये तो वह व्यक्ति काउंटर पर रखी 5 अगुँठी चोरी कर लेकर भाग गया जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-63 पर मु0अ0सं0 274/2022 धारा 380 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान सीसीटीवी कैमरे की सहायता व कड़े प्रयास से उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए शत प्रतिशत बरामदगी कर ली गई है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैने दिनांक 22.07.2022 को जगदम्बा ज्वैलर्स की दुकान से सोने की पाँच अगुँठी चोरी की थी तथा घटना से तीन दिन पहले भी मै जगदम्बा ज्वैलर्स की दुकान पर गया था एवं रैकी की थी एवं आज मैं अगुँठियों को दिल्ली बेचने जा रहा था।

अभियुक्त का विवरणः

प्रशान्त तिवारी पुत्र राजेश तिवारी निवासी आदमपुर, थाना सान्डी, जिला हरदोई वर्तमान निवासी गली नम्बर-2, ग्राम छिजारसी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 274/2022 धारा 380/411 भादवि0 थाना सेक्टर-63, नोएडा।

बरामदगी का विवरणः

चोरी की गयी 05 सोने की अगुँठी (कीमत लगभग 2 लाख रूपये)।

3- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे की पत्ती बरामद।

दिनांक 29.07.2022 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-483/2022 धारा 307 भादवि में वांछित अभियुक्त 1.कमल कान्त पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम खजूरी, थाना परौर, जिला शाहजहाँपुर वर्तमान पता अम्बेड़कर मोहल्ला, कस्बा व थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर 2.विमल कान्त पुत्र राकेश निवासी ग्राम खंजूरी, थाना परौर, जिला शाहजहाँपुर वर्तमान पता अम्बेड़कर मोहल्ला, कस्बा व थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर व 3.शशिकान्त पुत्र राकेश निवासी ग्राम खंजूरी, थाना परौर, जिला शाहजहाँपुर वर्तमान पता अम्बेड़कर मोहल्ला, कस्बा व थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के मुबारक पुर कट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे की पत्ती बरामद की गई है।

अभियुक्तो के द्वारा दिनांक 26.07.2022 को एक राय होकर मुकदमा उपरोक्त के वादी महीपाल पुत्र रमेश चन्द्र निवासी दुलीचन्दपुर, थाना दादों, जिला अलीगढ वर्तमान पता ग्राम मलकपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर के पुत्रो गौरव व रवि के ऊपर जान से मारने की नियत से लाठी,डंडे व धारदार हथियार से हमला किया गया था तथा फरार हो गये थे, जिसमें वादी के दोनो पुत्रो को गम्भींर चोंटे आयी थी।

अभियुक्तों का विवरणः

1.कमल कान्त पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम खजूरी, थाना परौर, जिला शाहजहाँपुर वर्तमान पता अम्बेड़कर मोहल्ला, कस्बा व थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

2.विमल कान्त पुत्र राकेश निवासी ग्राम खंजूरी, थाना परौर, जिला शाहजहाँपुर वर्तमान पता अम्बेड़कर मोहल्ला, कस्बा व थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

3.शशिकान्त पुत्र राकेश निवासी ग्राम खंजूरी, थाना परौर, जिला शाहजहाँपुर वर्तमान पता अम्बेड़कर मोहल्ला, कस्बा व थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 483/2022 धारा 307 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

घटना में प्रयुक्त एक लोहे की पत्ती

4- थाना दादरी पुलिस द्वारा मन्दिर के दान पात्र से पैसे चोरी करने वाले 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 3500 रूपये नगद व 02 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 29/07/2022 को थाना दादरी पुलिस द्वारा मन्दिर के दान पात्र से पैसे चोरी करने वाले 02 चोर 1.मोनू पुत्र अहमद निवासी ग्राम घोडी बछेडा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर 2.अमित पुत्र अशोक रावल निवासी ग्राम घोडी बछेडा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के बिरयानी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से मु0अ0सं0 377/2022 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित चोरी के 3500 रूपये नगद व 02 अवैध चाकू बरामद किये गये है।

दिनांक 12.07.2022 को वादी हर्ष चौधरी निवासी सैक्टर म्यू-1, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर द्वारा म्यू-1 मे स्थित त्रिलोकेश्वर मन्दिर के दान पात्र से पैसे चोरी करने के सम्बन्ध मे लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 377/2022 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्तों का विवरणः

1.मोनू पुत्र अहमद निवासी ग्राम घोडी बछेडा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

2.अमित पुत्र अशोक रावल निवासी ग्राम घोडी बछेडा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

1.मु0अ0सं0 377/2022 धारा 380/411 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर बनाम मोनू।

2.मु0अ0सं0 393/2022 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर बनाम मोनू।

3.मु0अ0सं0 394/2022 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर बनाम अमित।

बरामदगी का विवरणः

1. चोरी के 3500 रूपये नगद

2.02 अवैध चाकू

 # पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार पुलिस उपायुक्त महिला एवं बाल सुरक्षा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए थाना ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा साई कृपा शेल्टर होम में रह रही गुमशुदा बालिका को परिजनो से मिलाया गया।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार पुलिस उपायुक्त महिला एवं बाल सुरक्षा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए थाना ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा दिनांक 27.07.2022 को साई कृपा शैल्टर होम सेक्टर-12/22 में एक बालिका की काउसंलिग की तो बालिका उम्र 11 वर्ष द्वारा बताया गया कि वह अपनी बहन से मिलने नोएडा आयी थी और रास्ता भटक गयी थी, उक्त बालिका को दिनांक 24.07.2022 को थाना फेस-3 पुलिस द्वारा शैल्टर होम में दाखिल कर दिया गया था। ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा काउसंलिग के दौरान जानकारी करने पर बालिका ने अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, व पता डिडौली, जिला-अमरोहा बताया जिसपर ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा इस पते पर सर्च करके थाना डिडौली पर सम्पर्क किया गया, थाने की पुलिस व ग्राम प्रधान के सहयोग से बालिका के भाई के फोन पर सम्पर्क कर वार्ता की गई एवं बालिका के पिता को उसके बारे में बताया गया तथा उसका फोटो उनके व्हाटसप पर भेजा तो बालिका के पिता द्वारा बताया गया की यह हमारी बेटी है जो दिनांक 17.07.2022 को घर से अपनी बहन को नानी के घर जाने को कहकर निकली थी किन्तु नानी के घर नही गयी थी तथा 10 दिन से हम अपनी बेटी को तलाश करते हुए परेशान हो गये एवं हमने थाना डिडौली पर भी रिपोर्ट दर्ज करायी है। बालिका के पिता अपनी पत्नी व परिजनों के साथ थाना ए0एच0टी0यू0 गौतमबुद्धनगर पर आये तथा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस का आभार प्रकट किया। उक्त बालिका व उसके माता-पिता को सीडब्लूसी के समक्ष पेश कर सीडब्लूसी के माध्यम से बालिका को उसके माता-पिता के सुपुर्द कराने की कार्यवाही की जा रही है।